

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.20(3)चिस्वा/2/2018


जयपुर, दिनांक : 23.06.2019

अधिसूचना

फार्मसी एक्ट 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 1948 की सं. 8) की धारा 19 (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नांकित व्यक्तियों को राजस्थान फार्मसी कौन्सिल का सदस्य एतद् द्वारा मनोनीत करती है:-

1. श्री हरीश भेरवानी, जोधपुर
2. श्री महावीर कुमार सोगानी, ज्योति नगर, जयपुर
3. श्री जितेन्द्र तंवर, तालछापर, सुजानगढ (चुरू)
4. श्री दिनेश त्रिपाठी, जयपुर
5. श्री राजेन्द्र भट्ट, केकडी, अजमेर

राज्यपाल की आज्ञा से,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
5. विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन. आर. एच. एम., स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन, जयपुर
7. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, जयपुर
8. निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
9. औषधि नियंत्रक (प्रथम/द्वितीय) औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. उप निदेशक, राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर।
11. अध्यक्ष/रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मसी कौन्सिल, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कौन्सिल, जयपुर।
13. निदेशक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को मय अतिरिक्त प्रति एवं सी.डी. सहित भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण गजट में तत्काल प्रकाशित करने का श्रम करावें।
14. संबधित सदस्य।
15. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव